

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

वईजलास - श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 109/2024

दायर दिनांक :- 24.06.2024

अनवान

1. रामजस पिता लादू जाट नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. सुखदेव पिता लादू जाट नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. सुगनी देवी पत्नि लादू जाट नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. धीसू पिता हरदेव चमार नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. रामचन्द्र पिता हरदेव चमार नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. शंकर पिता हरदेव चमार नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. सरजू पत्नि हरदेव चमार नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
5. सायर पुत्री हरदेव चमार नि. कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाडा
7. शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बडौदा शाखा कनेछनकलां तहसील फूलिया कलां

..... अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::


उपरिस्थित अभिभाषक

1. श्री राहुल साहू, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 24.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 24.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कनेछनखुर्द पटवार मण्डल कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1417 प्रार्थीगण के शामलाती खाते में सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई रथाई बिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षों से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से 05 की आराजी संख्या 1420 तथा विलानाम आ.न. 1421, 1420/1569 में से नवीन रास्ता कायमी बावत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 1420


उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

तथा बिलानाम आ.न. 1421, 1420/1569 में से 20 फिट नवीन रास्ता किरम रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी नोटिस वाद तागील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 05 बावजुद सुचना के उपरिथत नहीं होने से अप्रार्थी सं. 01 व 05 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अगल में लाई गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 1417 में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नहीं तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकवा एवं डी एल सी दर अनुसार जाँच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 12.06.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 1420 तथा बिलानाम आ.न. 1421, 1420/1569 में से रास्ता देने पर 0.0891 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की जोत आ.न. 1417 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बावत् आमद-रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकॉर्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. खातेदार की रास्ते बावत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बावत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।


वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 1417 में आने जाने हेतु ख. न. 1420 तथा बिलानाम आ.न. 1421, 1420/1569 में से रास्ता चाहते हैं। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 1417 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नहीं है। एवं प्रार्थीगण की उक्त


उपसतण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला-भीलवाडा

आपत्तिगत में आवामगत हेतु आरक्षी सं. 1420 तथा विलासगत आ. नं. 1421, 1420/1569 में से शरणा प्रस्तावित किया गया है। विलासगत आ. नं. 1421, 1420/1569 में आवामगामी से कोई रोक नहीं है। विलासगत अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्राथीगण की आ. नं. 1417 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक शरणा मौजूद नहीं है। वैकल्पिक शरणा के अभाव में और शरणा की आत्यंतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्राथीगण को प्राथीग पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्राथीगण को प्राथीग पत्र अन्तर्गत भाग 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और साम कनेक्शनस्युर्ग प. ह कनेक्शनस्युर्ग नू अग्नि. नि. कनेक्शनकला सहरील फूलियाकला में आ. नं. 1417 में आने जाने के लिये आ. नं. 1420 से शरणा दिया जाने का आदेश दिया जाता है। शरणा हेतु आ. नं. 1420 में से शरणा 0.0614 हैक्टरस्युर्ग भूमि प्रस्तावित होगी। सहरीलदार फूलियाकला की रिपोर्ट इस आदेश का अग्रिम भाग है। तथा आ. नं. 1420 में से शरणा से प्रस्तावित रकमा 0.0614 हैक्टरस्युर्ग की एका में डी एल री वर की तुमुगा प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्राथी अप्राथीगण को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार शरणा दर्ज कर राजस्व नकसा शीट पर दर्शित कर सामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु सहरीलदार को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में चुनाया गया।


 (ओमप्रकाश)
 उपस्युर्ग अतिरिक्ती
 फूलियाकला (भीलवाडा)

5/10
 2
 4
 212
 20/5
 5/10
 22/1